19/9/2022 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। बहस प्रकरण उभय पक्ष सुनी गयी। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी एवं प्रतिवादी सं. 2 से 19 की संयुक्त स्वामित्व व कब्जे काश्त की पुश्तैनी पैतृक मौजा चित्तौड़गढ़ की आ. नं. 1309, 1310, 1311 कीता 3 कुल रकबा 0.68 जिसके पुराने आ. नं. 635 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा तथा आ. नं. 1321 रकबा 0.52 जिसके पुराने आ. नं. 646 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा स्थित है। वादग्रस्त आराजीयात प्रार्थी के पडदादा रुघदास बैरागी के जमाने की होकर पुश्तैनी पैतृक आराजी है, जिससे प्रार्थी एवं प्रतिवादी 2 से 19 का हक अधिकार निहित है। आराजीयात प्रार्थी एवं प्रतिवादी 2 से 19 के पडदादा रुघदास बैरागी के नाम पर सन् 1923 मेवाड़ सेटलमेन्ट के समय से चली आ रही है तथा प्रार्थी व प्रतिवादी 2 से 19 अपने पडदादा, दादा व पिता के समय से लगातार बिना बाधा के काबिज चले आ रहे है। विपक्षी कृष्णगोपाल के पिता निरंजनलाल [illegible] द्वारा सन् 1980 मे

2021/476A

... लगातार

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2022.10.07 16:35:54 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलेक्टर, चित्तौड़गढ़ — सत्यमेव जयते — जिला चित्तौड़गढ़

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)